...य उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

...न अधिकारी :– राहुल जैन

...सं. 58/2018

उनवान

1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मुरलीधर (मृतक दौराने दावा)
1/1 बोदूराम पुत्र स्व0 श्रीमति शान्ति देवी व मुरलीधर
1/2 मालीराम पुत्र स्व0 श्रीमति शान्ति देवी व मुरलीधर
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, हाल निवासी नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/3 कमला पुत्री स्व0 श्रीमति शान्ति देवी व मुरलीधर पत्नी महादेव मीणा, जाति मीणा, निवासी डासरोली, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।
1/4 छोटी देवी पुत्री स्व० श्रीमति शान्ति देवी व मुरलीधर पत्नी रतनलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी वार्ड नम्बर 10, श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
1/5 सोहनी देवी पुत्री स्व0 श्रीमति शान्ति देवी व मुरलीधर पत्नी भीवाराम मीणा, जाति मीणा, निवासी वार्ड नम्बर 10, श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
1/6 गीता देवी स्व0 श्रीमति शान्ति देवी व मुरलीधर पत्नी सुण्डाराम मीणा, जाति मीणा, निवासी डासरोली, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र भंवर लाल मीणा, जाति मीणा, निवासी मीणों की ढाणी ग्राम कालाडेरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
2. श्रीमान उप–पंजियक महोदय चोमू, जिला जयपुर।
3. लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
4. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा कालाडेरा, जरिये प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा कालाडेरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 10.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट कालाडेरा में पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 05.09.2019 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 10.09.2021 को कुरेजात प्राप्त हो चुके है। वादीगण स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है। उभयपक्षकारान को सुना गया। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 2 ने अपनी खातेदारी भूमि में से 30 फीट चौडा रास्ता तहसीलदार महोदय के समक्ष रास्ता वादी के पक्ष सरेन्डर करने हेतु लिखित सहमति दी है।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 की सहमति एवं तहसीलदार तहसील चौमू से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री ... जाने के लिए निवेदन किया। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू ... 10.09.2019 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डि... जाती है कि विवादित भूमि खाता संख्या 454 के आराजी खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1176 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.27 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाडेरा तहत पटवार हल्का कालाडेरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:58:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

बोदूराम मालीराम पि0 मुरलीधर कमला छोटी देवी सोहनी देवी गीतादेवी पि0 मुरलीधर जाति मीणा खातेदार निवासी नांगल पुरोहितान तहसील आमेर को खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1175/2 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1176/4 रकबा 0.1853 हैक्टेयर, कुल किता 03 का कुल रकबा 0.5053 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

2. बनवारी लाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा सा0 देह खातेदार हिस्सा 5309/6647 राहिन ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा कालाडेरा (हिस्सा 1338/6647 बिलाराहन) को खसरा नम्बर 1175/1 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1176/1 रकबा 0.0447 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1176/2 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1176/3 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1177/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1177/2 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1177/3 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, कुल किता 07 का कुल रकबा 0.6647 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 2 की वाद में सहमति अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 2 अपनी खातेदारी भूमि में से वादी के पक्ष में तहसीलदार चौमूं के समक्ष 30 फीट चौडा रास्ता राजहित में समर्पणनामा तहसीलदार चौमूं के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार चौमूं को निर्देश दिये जाते है कि उक्त डिक्री पालना करते समय ही उक्त समर्पणनामा का भी राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावें।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आर.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:58:26 IST
Reason: SelfAttested